<u>प्रैस विज्ञप्ति</u>

<u>दिनांक-02.08.2019</u>

<u>थाना स्याना पुलिस द्वारा फर्जी बलात्कार की घटना का सफल अनावरण, पति-पत्नी द्वारा षडयन्त्र के तहत लिखवाया था सामूहिक दुष्कर्म का झूठा अभियोग, दोनो पति-पत्नी गिरफ्तार</u>

अवगत कराना है कि थाना स्याना पर पंजीकृत मुअसं-221/19 धारा 376डी/506/392/120बी भादवि का सफल अनावरण एवं षडयंत्र करके मुकदमा लिखाने के संबंध मे थाना स्याना पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई जिसके अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक स्याना श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा घटना का सफल अनावरण किया गया तथा इस षडयंत्र मे शामिल दोनो पति-पत्नी को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

घटनाक्रम- दिनांक 31.07.2019 को मनोज पुत्र रूपचन्द निवासी मौ0 लक्ष्मी विहार कस्बा व थाना स्याना बुलन्दशहर द्वारा थाना स्याना पर लिखित सूचना अंकित करायी गयी थी कि वह और उसकी पत्नी घर के बाहर टीन शेट मे सो रहे थे कि प्रातः समय करीब 3.30 बजे तीन अज्ञात बदमाश उसके घर में घुस आये और उसको बंधक बना दिया तथा उसकी पत्नी (उम्र-38वर्ष) को कमरे मे ले जाकर दो व्यक्तियो द्वारा दुष्कर्म किया गया तथा इन्वर्टर-बैटरा व दो मोबाईल भी ले गये है, वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्याना पर मुअसं-221/19 धारा 376डी,506,392,120बी भादवि पंजीकृत किया गया है। वादी द्वारा उक्त अभियोग मे अपनी पुत्री व 03 अज्ञात को नामजद कराया गया था।

<u>घटना का अनावरण-</u> उपरोक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी स्याना श्री धनप्रकाश त्यागी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक स्याना श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा को घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था।

प्रकरण की गहनता से विवेचना/जांच करने पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना का होना नही पाया गया बल्कि मात्र इन्वर्टर-बैटरा व मोबाईल चोरी की घटना होना पायी गयी। मुकदमावादी मनोज द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का झूठा अभियोग पंजीकृत कराया और मुकदमे मे अपनी लडकी व 03 अज्ञात को नामजद पेशबन्दी के कारण कराया था। क्योंकि वादी की **लडकी** की शादी करीब डेढ वर्ष पूर्व नरसैना निवासी चन्द्रपाल पुत्र हरवीर के साथ हुई थी। शादी के करीब 03 महीने बाद उसकी लडकी दूसरी जाति के युवक सतवीर के साथ चली गयी थी इसलिए वादी द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाया कि उसकी लडकी ने तीन व्यक्तियों से यह घटना कारित करायी गयी है। वादी अपनी **लडकी** से नाराज होने के कारण झूठा मुकदमा लिखवाकर **उस**को जेल भिजवाना चाहता था।

दोनो अभियुक्तगण वादी मनोज व उसकी पत्नी के विरूद्ध सामूहिक दुष्कर्म का झूठा षडयन्त्र रचकर मुकदमा लिखाने पर उनके विरूद्ध धारा 506/120बी/195 भादवि के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है एवं अज्ञात चोरो के विरूद्ध धारा 392 भादवि से 380 भादवि मे तरमीम कर विवेचना की जाएगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पता-</u>

1- मनोज पुत्र रूपचन्द निवासी मौ0 लक्ष्मी विहार कस्बा व थाना स्याना बुलन्दशहर

2- मुकमदमावादी मनोज की पत्नी